

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ रायपुर
निर्मला डाया भवन, मीठा बाजार रोड, राकट नगर, रायपुर (आंगन)



रायपुर, दिनांक 12/11/2012

आदेश

क्रमांक/389/2012, बंधक श्रमिकों के पुनर्वास योजना के अंतर्गत केन्द्र शासन द्वारा स्वीकृति आवंटन में से जिला बिलासपुर के 54 बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु प्रति श्रमिक रूपये 20,000/- के मान से (केन्द्रांश+राज्यांश) राशि रूपये 10,80,000/- (रु. दस लाख अस्सी हजार मात्र) का आवंटन प्रदान किया जाता है।

उक्त राशि मांग संख्या-18, शीर्ष-2230 - श्रम और रोजगार, (01)-श्रम (112) बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास, 0701 - केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य (2837) बंधक मजदूरों की पुनर्वास योजना के अंतर्गत विकलनीय होगा।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यूओ क्रमांक 326/00001685/व-1/चार, दिनांक 11.11.2011 एवं क्रमांक एफ-00001685/व-1/चार, दिनांक 23.11.2011 द्वारा दी गई सहमति से जारी की जारही है।

(अमायुक्त द्वारा अनुगामित)

सहायक श्रमायुक्त
श्रमायुक्त कार्यालय रायपुर

पृ. क्रमांक/18/बांश्रु/2012/836,
प्रतिलिपि:-

रायपुर दिनांक 12/11/2012

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थी।
2. कलेक्टर, बिलासपुर की ओर प्रेषित कर लेख है कि यह संशि आहरण कर रूपये 20,000/- प्रति श्रमिक के मान से भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत बंधक श्रमिकों के पुनर्वास संबंधी कार्यवाही कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
3. कोषालय अधिकारी, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सहायक श्रमायुक्त, बिलासपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. लेखा शाखा (बजट) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. आदेश प्रकरण पत्रिका में संकलनार्थ।

सहायक श्रमायुक्त
श्रमायुक्त कार्यालय रायपुर